निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प अमझरी
द्वारा श्री हीरालाल मीणा आर. ए. एस उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद
प्रकरण सं. 12/17 अपील
दायरा दिनांक :- 20.3.17
निर्णय दिनांक :- 1.6.2017

उनवान

बृजमोहन पुत्र देवा जाति चमार निवासी कालीजागीर तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमझरी तहसील छीपाबड़ौद
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद
3. छीतर पुत्र देवा
4. बाबू पुत्र देवा
5. गोपाली पत्नी देवा
6. छोटी पुत्री देवा जाति चमार निवासी कालीजागीर तह. छीपाबड़ौद

अपील इन्तकाल नं. 89 ग्राम कालीजागीर
दिनांक :- 1.6.2017

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील इन्तकाल नं. 8[illegible]
दिनांक 20.1.83 ग्राम कालीजागीर विरुद्ध रेस्पो. के न्याय. मे इस
आशय की पेश की गई कि आराजी ख.नं. 253 रकबा 1.05 बीघा
ख.नं. 254 रकबा 3.18 बीघा, ख.नं. 281 रकबा 1.14 बीघा, ख.नं. [illegible]
रकबा 17 बिस्वा, ख.नं. 307 रकबा 2.09 बीघा, ख.नं. 308 रकबा
9.17 बीघा, किता 6 रकबा 20 बीघा मौजा कालीजागीर तह. छीपाबड़ौद
मे स्थित उक्त आराजी पूर्व मे हिस्सा 1/5 के अपीलान्ट के पिता श्री
पुत्र हरचंदा कौम चमार ग. डेह के खातेदारी मे दर्ज थी अपील
के पिता श्री देवा का स्वर्गवास होने पर उनका फौती इन्तकाल [illegible]
89 ग्राम कालीजागीर रेस्पो. कुल । द्वारा देवा के वारिसान छीतर
बाबू, मोहन नाबा. पुत्र व गोपाली बेवा, रामप्यारी, छोटी पुत्रियां
के पक्ष मे विभाजन किया गया जिसमे अपीलान्ट का नाम बृजमोहन
स्थान पर मोहन दर्ज कर दिया उक्त इन्तकाल की अप्रसन्नता से
आधारो पर पेश की रेस्पो. कुल । द्वारा इन्तकाल नं. 89 ग्राम का[illegible]

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

पुत्रियां देवा के पक्ष मे विभाजित किया गया जिसमे अपीलान्ट का नाम बृजमोहन के

मोहन

स्थान पर मोहन दर्ज कर दिया उक्त इन्तकाल की अप्रसन्नता से निम्न आधारो पर

Scanned by CamScanner

को निर्णित करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया केवल ग्राम चौहदी के नये बयान अपीलार्थी का नाम मोहन दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी का नाम इकलाख है इसलिये उक्त इन्तकाल [illegible] आराजी है अपीलार्थी का समस्त दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मे नाम इकलाख है जबकि रेस्पोडेन्ट नं 1 द्वारा इन्तकाल सं 29 मे नाम मोहन दर्ज कर दिया है जिससे अपीलार्थी को उक्त आराजी के संबंध मे कार्यवाही करने मे काफी कठिनाई व परेशानी हो रही है इसलिये अपीलार्थी के लिये उक्त इन्तकाल संख्या 29 को खारिज करना नितान्त आवश्यक हो गया है। ग्राम कजीकामगीर के किता खाता सं. 26 मे स्थित आराजी किता 3 रकबा 7-10 बीघा के सम्बन्ध मे खोला गया इन्तकाल संख्या 192 सही ढंग से खोला गया है उक्त इन्तकाल मे अपीलार्थी का नाम इकलाख दर्ज किया है इसलिये अपीलार्थी के लिये इन्तकाल नं 29 खारिज करना आवश्यक हो गया है।

रेस्पा० नं. 1 के विरुद्ध जांच पड़ताल के उपरान्त [illegible] पर इन्तकाल निर्णित करने मे कोताही बरती है जिससे अपीलार्थी के हक प्रभावित हो रहे है। उक्त इन्तकाल संख्या 29 दिनांक 20.1.83 ग्राम कजी का सर्व प्रथम ज्ञान दिनांक 16.2.2017 को होने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त इन्तकाल की नकल व अन्य नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया पर अपीलार्थी को नकले दिनांक 16.3.17 को होने पर उक्त अपील व इन्तकाल नं. 29 ग्राम कजी का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 16.3.17 को होने पर उक्त अपील अवधि नष्ट होकर फाइल करने तथा अपील की प्रस्तुति मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से पेश है। अपील अपीलार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजि० कर रेस्पा० को [illegible] समन तलब किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल खाता. नं. 29 ग्राम कजी, नकल जमाबन्दी ग्राम कजी काम[illegible] सम्वत 2072-75 भाग नं. 33, नकल खाता नं. 192 ग्राम कजी [illegible] नकल जमाबन्दी ग्राम कजी कामगीर सम्वत 2072-75 भाग नं. 2[illegible] [illegible] पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया [illegible] प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प [illegible] पर रखा गया। पत्रावली को केम्प मे अवलोकन हेतु [illegible]

लगा[illegible]

उपजिलाधिकारी
[illegible] जिला [illegible]

नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट स्वयं राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर उप० हुए। पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि बृजमोहन का नामा० खोटे लिखित नाम गलत अंकित कर दिया गया जिसे सही कराने के लिए अपील पेश की है बृजमोहन का सही नाम दर्ज करने में हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है बयान गोपाली पत्नी स्व० देवलाल, एवं हीरा, बाबू, बृजमोहन आ० देवलाल जाति माली निवासी [illegible] के बयान लिए गये जिसमें मोहन का सही नाम बृजमोहन बताया है पक्षकारान द्वारा जमी भी सहमति बृजमोहन ~~दर्ज करने~~ सही नाम दर्ज करने की मांग की गई है।

अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट पक्ष को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड एवं पहचान पत्र, राशन कार्ड व आधार कार्ड से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट का सही नाम बृजमोहन है पिता का [illegible] खोटे लिखित नाम मोहन दर्ज कर दिया जबकि सही नाम बृजमोहन था। रेस्पोंडेन्ट द्वारा भी अपने बयानों में बताया कि अपीलार्थी का सही नाम बृजमोहन है मोहन नहीं है रेस्पो० को भी सही नाम बृजमोहन दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार छीपाबड़ौद ने भी मोहन के स्थान पर बृजमोहन दर्ज करने की अनुशंसा की है। अपील अपीलान्ट सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर सहमति के आधार पर स्वीकार की जाती है। इन्तकाल नं. 89 दिनांक 20.1.1983 [illegible] [illegible] में अंकित अपीलान्ट के नाम मोहन के स्थान पर बृजमोहन दुरुस्त कर संशोधित नामा० दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हीरालाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner